


01 MAR 2023

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षा विषय के लिए अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार किया जाता है। अध्ययन मण्डल की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी परन्तु विद्यार्थी सदस्य की पदावधि एक वर्ष की होगी :-

धारा 28 (2) एक	1. निरंक
धारा 28 (2) दो	1. निरंक 2. निरंक
धारा 28 (2) तीन	1. निरंक
धारा 28 (2) चार	1. डॉ. हेमलता नागेश, सहायक प्राध्यापक, सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर 2. डॉ. रोसमा जाकोब, सहायक प्राध्यापक, क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) पांच	1. डॉ. अरुण कुमार दुबे, प्राचार्य, कोलबिया महाविद्यालय, टेकरी, रायपुर 2. डॉ. फादर पॉल टी.जे., सहायक प्राध्यापक, क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) छः	तिलोत्मा, बी.एड. (तृतीय सेमेस्टर) बी.एड., क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर
धारा 28 (2) सात	1. डॉ. चंद्रशेखर वजलवार, प्राध्यापक, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर 2. डॉ. सुजीत कुमार, प्राध्यापक, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. हेमलता नागेश, को उक्त अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।



कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /224 /अका./अध्ययन मंडल/2023

जगदलपुर, दिनांक/02/2023

प्रतिलिपि :-

01 MAR 2023

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर,
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला -रायपुर,
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
- माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर,
- संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर,
- उपरोक्त अध्ययन मंडल के समस्त सदस्य, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर,